दिनांक: 19.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा क्रेशर मालिक व पट्टे वालों से रंगदारी की घटना का खुलासा करते हुए 03 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से रंगदारी कुल 30,00,000/- रू (30 लाख रुपये) व पार्टनरशिप डीड अभियुक्तगण के हस्ताक्षरसुदा व अन्य कागजात बरामद

घटना का विवरणः-

दिनाँक 18.04.2026 को वादी श्री करण सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम मण्डौली गागर थाना बुडिया यमुनानगर हरियाणा तथा वादी श्री रणवीर सिंह पुत्र जयमाल सिंह निवासी ग्राम असलमपुर बरथा थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा डरा धमकाकर रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने व स्टोन क्रेशर पार्टनरशिप डीड पर पार्टनर बनाने के लिए धमकाकर जबरदस्ती दस्तखत कराने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर क्रमशः मु0अ0सं0 171/26 धारा 308(5)/308(6) बीएनएस व मु0अ0स0 172/26 धारा 308(5)/308(6) बीएनएस बनाम 1.सुरेन्द्र कुमार निवासी नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2.प्रिंस पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर 3.ईश्वरपाल तथा अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा रंगदारी की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एंव क्षेत्राधिकरी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा रंगदारी की घटना कारित करने वाले 03 वांछित अभियुक्तगण **1. प्रिंस पुत्र सुरेन्द्र निवासी मोहल्ला तेलियान थाना बुरिया जिला यमुनानगर हरियाणा व हाल पता ग्राम नुनिहारी थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. ईश्वरपाल पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर को वासुदेव स्टोन क्रेशर पंचकुआ थाना क्षेत्र चिलकाना व 3. सुरेन्द्र पुत्र महीपाल निवासी ग्राम नुनिहारी थाना बेहट जिला सहारनपुर** को ग्राम नुनिहारी के जंगल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से रंगदारी में ली गयी राशि 30,00,000/- रूपये (कुल तीस लाख रूपये) नगद बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरणः- थाना क्षेत्र में पूर्व में रंगदारी माँगने व तरह-तरह की धमकी देकर क्रैशरों व्यपारियों के व्यवसाय में जबरदस्ती पार्टनर बनाने तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो बनाकर डालने व ब्लैकमेलिंग करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। अभियुक्तगण द्वारा खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला से फंडिंग लेकर इकबाल बाला के विपक्षियों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे कराये जाने व इकबाल बाला द्वारा अपनी सहायता करने तथा उसकी सरपरस्ती में काम करने की बात कहकर लोगों में भय व्याप्त करके वसूली की जा रही थी। इसी क्रम में वादी की सूचना पर भारी धनराशि बरामदगी के साथ उपरोक्त घटना का खुलासा बेहट पुलिस द्वारा किया गया तथा पूछताछ हेतु एसओजी सर्विलांस व साइबर क्राइम टीम को लगाया गया। अभियुक्तगण के इकबाल उर्फ बाला से सम्बन्ध तथा मीडिया के साथ गैंग बनाकर वसूली के सम्बन्ध में समस्त गैंग पर कार्यवाही हेतु जाँच/विवेचना की जा रही है। उपरोक्त रंगदारी व वसूली प्रकरण में और बडे खुलासे तथा संरक्षणकर्ताओं के नाम उजागर होने की सम्भावना है। शीघ्र ही घटना से सम्बन्धित मोबाइल डाटा,

सीसीटीवी वीडियों/ओडियों फुटेज एनलाइसिस से और भी कई घटनाओं के खुलासा होने की संभावना है जिनमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. प्रिंस पुत्र सुरेन्द्र निवासी मोहल्ला तेलियान थाना बुरिया जिला यमुनानगर हरियाणा व हाल पता ग्राम नुनिहारी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. ईश्वरपाल पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. सुरेन्द्र पुत्र महीपाल निवासी ग्राम नुनिहारी थाना बेहट जिला सहारनपुर।

❖ **गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-**

1.अभियुक्त प्रिन्स उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 171/26 धारा 308(5)/308(6) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 172/26 धारा 308(5)/308(6)/61(2) बीएनएसथाना बेहट जनपद सहारनपुर।

2. अभियुक्त ईश्वरपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 227/2020 धारा 120-B, 147, 148, 149, 307, 336, 353, 379 भादवि व 3(2) पीपीडी एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 443/2023 धारा323, 354(ख), 452, 504, 506भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 171/26 धारा 308(5)/308(6) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 172/26 धारा 308(5)/308(6)/61(2) बीएनएसथाना बेहट जनपद सहारनपुर।

3. अभियुक्त सुरेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 171/26 धारा 308(5)/308(6) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 172/26 धारा 308(5)/308(6)/61(2) बीएनएसथाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- मु0अ0सं0 171/2026 धारा 308(5)/308(6) बीएनएस से सम्बन्धित 20,00,000/- रूपये नगद।
- मु0अ0सं0 172/2026 धारा 308(5)/308(6) बीएनएस से सम्बन्धित 10,00,000/- रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 448 शिवकुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
5. का0 2515 मोहित गौतम थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
6. का0 1811 राहुल कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
7. का0 2324 रवि कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

दिनांकः **19-04-2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा झाड फूँक करने के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को मात्र 12 घण्टे में किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.04.2026 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत मस्जिद का मौलवी व नदीम पुत्र शकील निवासी जीवाला थाना फतेहपुर द्वारा वादिया को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर मस्जिद के मौलवी द्वारा दुष्कर्म करना तथा अभियुक्त नदीम द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 154/26 धारा 64(1)/123/ 61(2)/115(2)/351(3) बीएनस पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 352/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 19.04.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1.मौलवी मौ0 जुनैद पुत्र जमील निवासी बेलडा जुनादार थाना नागल जनपद सहारनपुर 2. नदीम पुत्र शकील निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को बड्ूली तिराहा थाना नागल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मौलवी मौ0 जुनैद पुत्र जमील निवासी बेलडा जुनादार थाना नागल जनपद सहारनपुर।
2. नदीम पुत्र शकील निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
5. है0का0 1336 प्रशान्त कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मारपीट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 194/26 धारा 64(1)/333/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त **गौरव उर्फ लक्की पुत्र सतीश तापड निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गौरव उर्फ लक्की पुत्र सतीश तापड निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 434/25 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1131 सूरज शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 19.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.04.2026 को एक 01 वारंटी अभियुक्त **आसिफ पुत्र बुन्दू अहमद नि0 मौ0 दाऊदसराय निकल यूसुफ मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** (संबंधित वाद सं0–3200/4 मु0अ0सं0 – 140/11 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर निर्गत माननीय न्यायालय ACJM तृतीय सहारनपुर) को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आसिफ पुत्र बुन्दू अहमद नि0 मौ0 दाऊदसराय निकल यूसुफ मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 – 63/2024 धारा – 63 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 – 280/24 धारा – 63 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राम कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 1327 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 19.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की रोकथाम व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.04.2026 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त **मोबीन पुत्र गुलामनबी निवासी मौ0 वर्धमान कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को अम्बाला रोड से ईदगाह की तरफ जाने वाले रास्ते पर ईदगाह के सामने बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (माल्टा रसीला संतरा) बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 123/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मोबीन पुत्र गुलामनबी निवासी मौ0 वर्धनाम कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का (माल्टा रसीला संतरा)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 105/98 धारा 364,307,120बी,302,201 भादवि0 थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 227/06 धारा 413,420,467,468,471 भा0दवि0 थाना सरसावा
3. मु0अ)सं0 407/07 धारा 307 भादवि0 थाना सरसावा
4. मु0अ0सं0 409/07 धारा 25 आर्म एक्ट थाना सरसावा
5. मु0अ0सं0 410/07 धारा 414,420 भादवि0 थाना सरसावा
6. मु0अ0सं0 19/08 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सरसावा
7. मु0अ0सं0 56/08 धारा 386/506/504/323 भादवि थाना सरसावा
8. मु0अ0सं0 178/08 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सरसावा
9. मु0अ0सं0 400/08 धारा 3 UP गुण्डा अधिनियम थाना सरसावा
10. मु0अ0सं0 181/22 धारा 60 आब0 अधि0 थाना सरसावा
11. मु0अ0सं0 03/20 धारा 120बी,307,393,452 भादवि0 थाना सरसावा
12. मु0अ0सं0 08/20 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना सरसावा
13. मु0अ0सं0 123/26 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 1194 लखन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.03.2026 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नीरज पुत्र श्याम सिहं निवासी ग्राम बहादरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व अन्य के द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना तथा शिकायत करने पर धमकी देने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 64/26 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 5एल/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.04.2026 को उपरोक्त मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्त **अमित पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बहादरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम बहादरपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बहादरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 218 अय्यूब थाना जनकपुरी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये कानों की 02 झूमकी/बाली (पीली धातु) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.04.2026 को वादी श्री कुवर रजिउज्जमा पुत्र कुवर जमील हुसैन सादिक निवासी जाकिर नगर नई दिल्ली की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. जुबैर पुत्र नामालुम निवासी नामालुम 2. मौ0 समी पुत्र नामालुम निवासी नामालुम द्वारा वादी की मोटरसाईकिल में रखे कानो की कुण्डल निकाल लेने के सम्बध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 174/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान चोरी की घटना का सफल अनवारण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण **1.जुबैर पुत्र फकरूद्दीन निवासी निकट अरबी मदरसा चोपरोबान थाना मण्डी सहारनपुर 2. मौ0 शमी पुत्र गुलनवाज निवासी टोली कालान लक्खी गेट प्रथम थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी किये गये कानों के 02 कुण्डल/झूमकी/बाली (पीली धातु) बरामद हुई। गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जुबैर पुत्र फकरूद्दीन निवासी निकट अरबी मदरसा चोपरोबान थाना मण्डी सहारनपुर।
2. मौ0 शमी पुत्र गुलनवाज निवासी टोली कालान लक्खी गेट प्रथम थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 02 कान की बाली (पीली धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी सहारनपुर।
2. है0का0 1269 धीरज मावी थाना मण्डी सहारनपुर।
3. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।
4. है0का0 1233 विपिन कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 57,000/- रुपये पीडित के खाते मे वापस कराये गये

अवगत करना है कि दिनांक 02.01.2024 को पीड़िता दिव्या गर्ग पत्नि जागृत निवासी अम्बिकाधाम कालोनी हसनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा टेलीग्राम पर मैसेज कर वर्क फ्राम होम करने को लेकर 1,00,000/- रुपये ठगे गये पीड़िता द्वारा हैल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 33101240000405 दर्ज करायी थी तथा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 18.09.2024 को थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 527/2024 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी मे आनलाइन धोखाधड़ी कर ठगे गये रूपयो की वापसी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आनलाईन धोखाधडी के माध्यम से ठगे गये 1,00,000/- रूपये की धनराशि में से 57,000/- रुपये होल्ड कराकर पीडिता के खाते में वापस कराये गये । धनराशी वापस आने पर पीडिता द्वारा थाना सदर बाजार साइबर हैल्प डैस्क का आभार प्रकट किया गया।

खाते में वापस करायी गयी धनराशि-

- 57,000/- रुपये

साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. निरीक्षक बीरबल सिह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर । (साइबर सैल)
4. म0है0का01133 अनवेष थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।